



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005
फोन-(022) 66552711/ 3147

ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 19वीं वार्षिक महासभा गुरुवार, दिनांक 13 जुलाई 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी:

सामान्य कारोबार

- 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;
- 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए दस रुपये के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए एक रुपया लाभांश की घोषणा करना;
- श्री मनोज सहाय (डीआईएन: 08711612), भारत सरकार के नामिती निदेशक की आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;
- श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन: 09584577), भारत सरकार के नामिती निदेशक की आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

विशेष कारोबार

- निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित इसकी धारा 160, 196, 203, अनुसूची V तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 116(1) (iii) एवं (vii), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों तथा अन्य कोई लागू कानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन (नों), परिवर्तन (नों) या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल हैं), के अनुसार, श्री जयकुमार एस. पिल्लई (डीआईएन 10041362), जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त के लिए दायी होंगे, की 12 जून 2023 से 3 वर्षों की अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतद्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिसका अनुमोदन रिजर्व बैंक द्वारा 19 मई 2023 के पत्र तथा नोटिस के इस संकल्प के व्याख्यात्मक विवरण में निर्धारित पारिश्रमिक पर 22 मई 2023 को निदेशक मंडल द्वारा किया गया है।



IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai- 400 005,
Phone-(022) 66552711 / 3147
E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 19th Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Thursday, July 13, 2023 at 11:00 a.m. exclusively through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM), to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2023 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the Audited Consolidated Financial Statements of the Bank and the report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2023;
- To declare dividend of Rupee One per equity share having face value of Rupees Ten each for the Financial Year ended March 31, 2023;
- To re-appoint Shri Manoj Sahay (DIN: 08711612), GOI Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;
- To re-appoint Shri Sushil Kumar Singh (DIN: 09584577), GOI Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

SPECIAL BUSINESS

- To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT in terms of Article 116(1)(iii) & (vii) read with Sections 160, 196, 203, Schedule V and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), approval of members be and is hereby accorded to the appointment of Shri Jayakumar S. Pillai (DIN-10041362) as a Director liable to retire by rotation and Deputy Managing Director on the Board of IDBI Bank Limited for a period of 3 years w.e.f. June 12, 2023 as approved by the RBI vide letter dated May 19, 2023 and by Board of Directors on May 22, 2023 on the remuneration as set out in the explanatory statement to this resolution of the Notice."

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा अन्य प्रासंगिक विधि प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई संशोधन(नों), सांविधिक संशोधन(नों), या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है तथा इस शब्द में बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/ गठन की जाने वाली कोई भी समिति (समितियां) शामिल हैं) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संविदाएं/करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों का समूह या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या संशोधन (नों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं:

- 1) एलआईसी से चातु खाता जमा या सावधि जमा ("जमाराशियां") सहित जमाराशियां (किसी भी रूप में और किसी भी नाम से) और उस पर ब्याज;
- 2) लागू कानूनों और बैंक की संबंधित नीतियों के अंतर्गत यथा अनुमत राशि और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि आदि सहित) पर एलआईसी को किसी भी प्रकार का ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधाएं अथवा किसी भी प्रकार की निधि-आधारित सुविधाएं तथा/ अथवा गारंटियां, साख पत्र अथवा किसी भी प्रकार की गैर-निधि आधारित सुविधाएं मंजूर करना; तथा
- 3) एलआईसी को बैंक की ऋण प्रतिभूतियां जारी करना, ब्याज का भुगतान और उसकी मोचन राशि
- 4) बीमा उत्पादों और अन्य संबद्ध व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन
- 5) एलआईसी के साथ सहमत प्रतिफल पर अथवा समय-समय पर हुई सहमति के अनुसार तथा/ अथवा बैंक/ इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निम्न कार्यों के लिए अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएं और/या संसाधनों/ सेवाओं का एलआईसी को/से अंतरण: (i) प्रतिभूतियों का क्रय/ विक्रय, शुल्क, प्रभार, राजस्व, कमीशन, प्रीमियम, ब्रोकरेज या कस्टडी/ डिपॉजिटरी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं, बीमा सेवाओं, आस्ति प्रबंधन शुल्क, अनुबंध शुल्क जारी करने व भुगतान करने, साझा सेवाएं, संग्रहण और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियां जारी करने जैसे कार्यों से अन्य आय प्राप्त करने के लिए तथा/ अथवा (ii) किए गए व्यय, जो बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों में प्रकट किये गये हैं.

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन, चाहे एकल रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में, 1,000 करोड़ रुपये अथवा बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with Life Insurance Corporation of India (LIC), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- 1) Deposits (in any form and by whatever name called), including Current Account Deposits or Fixed Deposits ("Deposits") from LIC and interest thereon;
- 2) Granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of Fund-based facilities, and/ or guarantees, letters of credit, or any other form of Non-Fund based facilities to LIC, sanctioned up to an amount and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank; and
- 3) Issue of debt securities of the Bank to LIC, payment of interest and redemption amount thereof.
- 4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business
- 5) Other transactions and / or arrangements with and / or transfer of resources / services from/ to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Bank/ its subsidiaries would (i) purchase/ sell securities, receive fees, charges, revenue, commission, premium, brokerage or any other income, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities and / or (ii) incur expenses, as may be disclosed in the notes forming part of the consolidated financial statements of the Bank

notwithstanding the fact that such contracts/ arrangements/transactions during a Financial Year, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last

के अंतर्गत प्रयोज्य अन्य तात्विक सीमा, जिसमें जमा व ब्याज ऐसे लेनदेन मूल्य का प्रमुख हिस्सा हों, से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार सिद्धांत आधार पर और बैंक के सामान्य व्यवसाय के तहत हो."

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बोर्ड (इस पद के अंतर्गत ऐसी कोई भी समिति शामिल है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है) द्वारा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और कोई करार, दस्तावेज तथा लिखावट निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएं तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी(रियों) को अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी या किसी भी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं.”

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि "संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा अन्य प्रासंगिक विधि प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई संशोधन(नों), सांविधिक संशोधन(नों), या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है तथा इस शब्द में बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/ गठन की जाने वाली कोई भी समिति (समितियां) शामिल हैं) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. (आईसीएमएस) के साथ संविदाएं/करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों का समूह या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या संशोधन (नों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं:

क. प्राथमिक बाजार से उच्च रेटिंग वाले जारीकर्ताओं की गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में अभिदान और उन्हें लाभ पर पेशान निधियों, भविष्य निधियों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों, एचएनआई तथा अन्य ऐसे निवेशकों को बेचना.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बोर्ड (इस पद के अंतर्गत ऐसी कोई भी समिति शामिल है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है) द्वारा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और कोई करार, दस्तावेज तथा लिखावट निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएं तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी(रियों) को अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी या किसी भी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं.”

audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time wherein Deposits and interest thereon would form a substantial portion of such transaction value; provided however, that the said contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/ arrangements/transactions and to give effect to this Resolution.”

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), Section 188 of the Companies Act, 2013 (“the Act”) and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the “Board”, which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with IDBI Capital Market & Securities Ltd. (ICMS), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

a. subscription of Non SLR securities of highly rated issuers from primary market and selling them to investors such as Pension Funds, Provident Funds, Insurance Companies, Mutual Funds, HNIs and other such investors at a profit”

“RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts / arrangements/transactions and to give effect to this Resolution.”

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

“**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित उसकी धारा 14 के प्रावधानों, बैंकिंग विनियम अधिनियम के प्रावधानों तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों और सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्रों तथा अन्य लागू कानूनों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई सांविधिक संशोधन (नों), आशोधन (नों), परिवर्तन (नों) या उसमें पुनः अधिनियमन (नों) शामिल हैं), यदि कोई हो, और आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, जो इस संबंध में आवश्यक हो सकता है तथा ऐसे निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अधीन, जो अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित किये जा सकते हैं के अनुसरण में, बैंक के सदस्य आईडीबीआई बैंक के संस्था के अंतर्नियमों में परिवर्तन के लिए निम्नानुसार सहमति प्रदान करें और एतद्वारा प्रदान की जाती है।

परिवर्तित अनुच्छेद 114 (ए)

| | |
|---|--------------------|
| डिबेंचर निदेशक (यदि कोई हो) को छोड़कर निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी, या ऐसी अन्य संख्या जो समय-समय पर महासभा में कंपनी द्वारा उपर्युक्त सीमा और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाये। | निदेशकों की संख्या |
|---|--------------------|

नवीन अनुच्छेद 116बी

| | |
|---|----------------|
| कंपनी के डिबेंचरों या बॉन्डों से संबंधित किसी भी ट्रस्ट दस्तावेजों में निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान किया जा सकता है (इन प्रस्तावों को “डिबेंचर निदेशक” के रूप में जाना जाता है) जो सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 के विनियम 15(1)(ई) में प्रदान की गई चूक की स्थितियों के मामले में, उसमें वर्णित ऐसी अवधि के लिए जो उस अवधि से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए डिबेंचर/ बॉण्ड्स या उनमें से कोई भी बकाया रहेगा और ऐसे डिबेंचर निदेशक को पद से हटाने और रिक्त पद पर डिबेंचर निदेशक की नियुक्ति, जो इस्तीफा, मृत्यु, हटाने या अन्यथा के कारण रिक्त हुआ हो। डिबेंचर निदेशक आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने या ऊपर बताई गई स्थिति को छोड़कर कार्यालय से हटाए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। | डिबेंचर निदेशक |
|---|----------------|

यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक का निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में बैंक के एमडी एवं सीईओ या किसी अन्य अधिकारी (यों) को अपने प्राधिकार सौंपने सहित ऐसे सभी कृत्यों, विलेखों और अन्य कार्यों को करने या किए जाने के कारण जो अपेक्षित हों या आवश्यक या प्रासंगिक माने जायें

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the relevant rules made thereunder and other applicable provisions, if any, provisions of the Banking Regulations Act, and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and circulars issued by SEBI and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), if any, and subject to approval of the RBI as may be required in this regard and subject to/ in accordance with such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, consent of the Members of the Bank be and is hereby accorded for alteration of Articles of Association of IDBI Bank, as follow:

Altered Article 114 (a)

| | |
|---|---------------------|
| The number of Directors excluding a Debenture Director (if any) shall not be less than three and more than fifteen, or such other number as may be determined from time to time by the Company in General Meeting in accordance with the aforesaid limit and provisions of the Act. | Number of Directors |
|---|---------------------|

New Article 116B

| | |
|---|--------------------|
| Any trust documents covering the issue of debentures or bonds of the Company may provide for the appointment of a Director (in these presents referred to as “Debenture Director”), in case of events of default provided in Regulation 15(1)(e) of the SEBI (Debenture Trustees) Regulations, 1993, for such period as is therein provided not exceeding the period for which the debentures/ bonds or any of them shall remain outstanding and for the removal from office of such Debenture Director and on a vacancy being caused whether by resignation, death, removal or otherwise for appointment of a Debenture Director in the vacant place. The Debenture Director shall not be liable to retire by rotation or be removed from office except provided as aforesaid” | Debenture Director |
|---|--------------------|

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or

और उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए के लिए प्राधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है।

**बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution.”

**By Order of the Board
For IDBI Bank Limited**

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

पंजीकृत कार्यालय:

आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई- 400005.

दिनांक: 15 जून 2023

टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 05 मई 2022 के परिपत्र सं. 02/2022, दिनांक 13 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. 02/2021, दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020, दिनांक 05 मई 2020 के परिपत्र सं. 20/2020 के साथ पठित दिनांक 28 दिसंबर 2022 के परिपत्र सं. 10/2022 को ध्यान में रखते हुए तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 13 मई 2022 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62, दिनांक 15 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/एफ/2020/11 और दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/एफ/2020/79 के साथ पठित 05 जनवरी 2023 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 के अनुसरण में सदस्य आगामी वार्षिक महासभा (एजीएम) में वीसी/ओएवीएम माध्यम से उपस्थित और भाग ले सकते हैं।
3. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020 के साथ पठित दिनांक 28 दिसंबर 2022 के परिपत्र सं. 10/2022 के अनुसरण में, इस वार्षिक महासभा में सदस्यों को उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए हकदार हैं और इस प्रकार वे वार्षिक महासभा में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।
4. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आए पहले पाएं आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं जिन्हें पहले आए पहले पाएं आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना महासभा में भाग लेने की अनुमति है।

Registered Office:

IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated: June 15, 2023

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of each Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013 are annexed herewith.
2. In terms of Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with Circular no. 02/2022 dated May 05, 2022, Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.
3. Pursuant to the Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, issued by the MCA, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate there at and cast their votes through e-voting.
4. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी.
6. कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी सूचीबद्धता विनियम (यथा संशोधित) के विनियम 44 और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 05 मई 2022, 13 जनवरी 2021, 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 5 मई 2020 के साथ पठित 28 दिसम्बर 2022 के परिपत्र के अनुसरण में बैंक महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही महासभा के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.
7. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 28 दिसंबर 2022 के परिपत्र सं. 10/2022 अनुपालन में वार्षिक महासभा में बुलाए जाने का नोटिस बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर अपलोड किया गया है. यह महासभा का नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com से भी देखी जा सकती है. यह एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है.
8. अनुच्छेद 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में कम से कम तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए उपस्थित होने पर पूरा होगा.
9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इकाई: आईडीबीआई बैंक, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्छीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66553147/2711/3062/3336, ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.
10. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार महासभा के दौरान निरीक्षण के लिए रजिस्टर उपलब्ध रहेंगे जिसके लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली <https://www.evoting.nsdl.com/> पर लॉगिन करना होगा.
11. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:
 - i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.
 - ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.
5. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
6. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and the Circulars issued by the MCA dated December 28, 2022 read with May 05, 2022, January 13, 2021, April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.
7. In line with the MCA Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The AGM Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.
8. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.
9. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Limited at their address at unit: IDBI Bank, Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad- 500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005 [Tel. No.(022) 66553147/2711/3062/3336, E-mail: idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.
10. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>
11. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :
 - i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.
 - ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

iii) लॉगइन आईडी का ब्योरा इस नोटिस में नीचे दिया गया है.

12. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **शुक्रवार, 07 जुलाई 2023 से गुरुवार, 13 जुलाई 2023 तक (दोनों दिन शामिल)** बंद रहेगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मर्दान पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा **गुरुवार, दिनांक 06 जुलाई 2023** (दिनांक), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

13. 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश हेतु सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए **‘रिकार्ड तिथि’ गुरुवार 06 जुलाई 2023** है.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शनिवार, 08 जुलाई 2023 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) शुरू होगी और बुधवार, 12 जुलाई 2023 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिन सदस्यों के नाम सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में यथा रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख), अर्थात् **गुरुवार, 06 जुलाई 2023** को दर्ज हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दे सकते हैं. शेयरधारकों के मताधिकार यथा निर्दिष्ट तारीख, जो **06 जुलाई 2023** है, को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार मतदान करूँ?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार शामिल

चरण 1 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर एक्सेस करना

अ) ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन पद्धति तथा डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा वर्चुअल बैठक में शामिल होना

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा के बारे में दिनांक 09 दिसंबर 2020 सेबी के परिपत्र के अनुसार, डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरियों और डिपॉजिटरी सहभागियों के पास खोले गए डिमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी गई है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डिमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें.

iii) Details of login id are given below in this Notice.

12. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Friday, July 07, 2023 to Thursday, July 13, 2023 (both days inclusive)**. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **Thursday, July 06, 2023** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

13. The **‘Record Date’** for determining entitlement of members to dividend for the Financial Year ended March 31, 2023 is **Thursday, July 06, 2023**.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period begins on and from **Saturday, July 08, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, July 12, 2023 at 5.00 p.m (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. **Thursday, July 06, 2023**, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being **July 06, 2023**.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode





In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.





डिमेंट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है :

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

| शेयरधारक का प्रकार | लॉगिन की पद्धति |
|--|--|
| वैयक्तिक शेयरधारक जो एनएसडीएल के पास डिमेंट रूप में प्रतिभूति रखते हैं | <ol style="list-style-type: none"> मौजूदा आईडीईएएस यूजर व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट : https://eservices.nsd.com पर जाएं. ई-सर्विसेस होम पेज पर “Login” के अंतर्गत “Beneficial Owner” आइकॉन पर क्लिक करें जो “IDeAS” सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. यह आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करने के लिए कहेगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे. ई-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत “Access to e-Voting” पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे. बैंक के नाम या “e-Voting service provider अर्थात् NSDL” पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. यदि यूजर आईडीईएएस ई-सर्विसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsd.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. “Register Online for IDeAS” पोर्टल सिलेक्ट करें या https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर/मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsd.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही Login आइकॉन पर क्लिक करें जो ‘Shareholder/Member’ सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास सोलह अंकों का आपका खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपोजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम या e-Voting service provider - NSDL पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप “NSDL Speede” सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं. |

| Type of shareholders | Login Method |
|---|---|
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL. | <ol style="list-style-type: none"> Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsd.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under “IDeAS” section , this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsd.com. Select “Register Online for IDeAS” Portal or click at https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsd.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. |

| | |
|--|---|
| | <p style="text-align: center;">NSDL Mobile App is available on</p> <p style="text-align: center;">   </p> <p style="text-align: center;">   </p> |
| <p>वैयक्तिक शेयरधारक जो सीडीएसएल के पास डिमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा यूजर जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/इजीएस्ट सुविधा का चयन किया है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. ईजी/इजीएस्ट पर लॉगिन करने हेतु उपयोगकर्ता से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com विजिट करें और लॉगिन तथा इसके बाद New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और अपना मौजूदा ईजी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें. 2. सफल लॉग-इन के बाद ईजी/इजीएस्ट यूजर पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वोटिंग जारी है. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे. इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें. 3. यदि यूजर ईजी/इजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. लॉगिन और New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें. 4. विकल्प के तौर पर, यूजर www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डिमैट खाता संख्या और पैन नंबर मुहैया करा कर सीधे ई-वोटिंग पेज पर एक्सेस कर सकते हैं. सिस्टम, डिमैट खाते में रिकॉर्ड पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर का सत्यापन करेगी. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, यूजर ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाता सीधे सिस्टम में एक्सेस कर सकेंगे. |

| | |
|---|--|
| | <p style="text-align: center;">NSDL Mobile App is available on</p> <p style="text-align: center;">   </p> <p style="text-align: center;">   </p> |
| <p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Existing users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there are also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers. |

| | |
|--|---|
| वैयक्तिक शेयरधारक (जो डिमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) जो अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं | आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डिमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग संबंधी विकल्प देख पाएंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants | You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. |
|--|--|

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं वे उपर्युक्त वेबसाइट पर **Forgot User ID** और **Forgot Password** विकल्प का उपयोग करें.

डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए एनएसडीएल एवं सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरी के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए हेल्पडेस्क.

| लॉगिन स्वरूप | हेल्पडेस्क विवरण |
|--|---|
| एनएसडीएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक | लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण evoting@nsdl.co.in पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबरों 022-4886-7000 एवं 022-2499-7000 को कॉल कर एनएसडीएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें. |
| सीडीएसएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक | लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 को कॉल कर सीडीएसएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें. |

आ) डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग/ वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें.
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो 'Shareholders/ Member' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएस लॉगिन से <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं. अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉग-इन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् **Cast your vote electronically** की तरफ बढ़ सकते हैं.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use **Forgot User ID** and **Forgot Password** option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

| Login type | Helpdesk details |
|--|--|
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL | Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 022-4886-7000 and 022-2499-7000 |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL | Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33 |

ब) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. **Cast your vote electronically**.

4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं :

| शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक | आपका यूजर आईडी है : |
|---|--|
| क) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल के डीमैट खाते में हैं. | 8 अक्षरों-अंकों से युक्त डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12***** होगा. |
| ख) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल डीमैट खाते में हैं. | 16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी 12***** होगा. |
| ग) उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं. | ईवीईएन संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और ईवीईएन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा. |

5. वैयक्तिक शेयरधारक से इतर शेयरधारक के पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं :

- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.
- ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करने पर, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.
- ग) आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?
- (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.
- (ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आप नीचे उन शेयरधारकों संबंधी प्रक्रियाओं में उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं.

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

- क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).
- ख) www.evoting.nsdl.com पर "Physical User Reset Password?" विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).

4. Your User ID details are given below :

| Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical | Your User ID is: |
|--|--|
| a) For Members who hold shares in demat account with NSDL. | 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****. |
| b) For Members who hold shares in demat account with CDSL. | 16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****. |
| c) For Members holding shares in Physical Form. | EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank. For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***. |

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
- (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
- (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered**

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

- a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
- b) **Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

- ग) यदि उपर्युक्त दो विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।
- घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए "Agree to Terms and Conditions" पर टिक करें।
8. अब आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा।
- c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
- d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

चरण 2 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से करें और महासभा में शामिल हों :

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करना है और महासभा में शामिल कैसे होना है?

- चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे, जिनके आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग साइकिल और महासभा एक्टिव स्थिति में हैं।
- आप उस बैंक का "EVEN" चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा के दौरान मतदान करना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको "Join General Meeting" के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक को क्लिक करना होगा।
- अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- उपयुक्त विकल्प, अर्थात् Assent या Dissent (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें। आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा "Submit" पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर "Confirm" पर क्लिक करें।
- पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा।
- आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर Print विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
- संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे।

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

- After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
- Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".
- Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
- Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
- Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षा है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें।
- इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें। सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical Reset Password?" के विकल्प पर जाना होगा।
- किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तथा 'शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल' देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 022 4886 7000 और 022 2499 7000 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर श्री संजीव यादव, सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल को अनुरोध मेल भेज सकते हैं।

General Guidelines for shareholders

- Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.co.in.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर भौतिक स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ठ और पृष्ठ भाग दोनों), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें।
2. यदि शेयर डिमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी+सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर लिस्ट अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें। यदि आप डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप **चरण 1 (अ)** में बताई पद्धति से लॉगिन करें। **अर्थात् डिमैट पद्धति में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति का उपयोग करें।**
3. विकल्प के तौर पर शेयरधारक/सदस्य ऊपर उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी व डिपॉजिटरी सहभागी के पास खोले गए डिमैट खाते के माध्यम से ई-वोटिंग करने की अनुमति दी गई है। इस ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों को अपने डिमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही तरीके से अद्यतन करना होगा।

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर मतदान नहीं किए हैं और जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, वे वार्षिक महासभा में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जैसा रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है।

वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य **एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के लिए एक्सेस** संबंधी ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप बैंक के नाम के सामने **“Join Meeting”** मेन्यू के अंतर्गत **“VC/OAVM लिंक”** देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A)** i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**
3. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring User ID and Password by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of “VC/OAVM link” placed under **“Join meeting”** menu against Bank name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under

Join Meeting मेन्ू के अंतर्गत VC/OAVM लिंक पर क्लिक करें. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीईएन प्रदर्शित की जाएगी. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें पुनः प्राप्त (रिट्रीव) कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए बैठक में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है.
3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे के लिए अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की स्क्रावट को टाला जा सके.
4. कृपया नोट करें कि मोबाईल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाईल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अतः स्थिर वाई-फ़ाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.
5. बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं और अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने अनुरोध 08 जुलाई 2023 की सुबह 9.00 बजे से 10 जुलाई 2023 की शाम 5.00 बजे तक (बैंक के ई-मेल पते idbiequity@idbi.co.in) पर भेज सकते हैं. बैंक महासभा के लिए उपलब्ध समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखता है.
6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से 08 जुलाई 2023 की सुबह 9.00 बजे से 10 जुलाई 2023 की शाम 5.00 बजे तक (बैंक के ई-मेल पते idbiequity@idbi.co.in) पर भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.
7. जिन सदस्यों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया है केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.
8. महासभा से पहले या इसके दौरान सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के संबंध में किसी भी सहायता के लिए एनएसडीएल से 022-4886-7000 एवं 022-2499-7000 पर संपर्क करें अथवा श्री संजीव यादव को sanjeevy@nsdl.co.in पर मेल करें.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो महासभा सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 09 जून 2023 के बाद और 06 जुलाई 2023 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं.

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 09 जून 2023 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 06 जुलाई 2023 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 06 जुलाई 2023 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयर, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com “Forgot User Details/ Password” अथवा “Physical User Reset Password?” विकल्प का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to register themselves as a speaker during the meeting may send their request mentioning their name, demat account number/ folio number, email id, mobile number at (Bank's email id idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on July 08, 2023 till 5.00 p.m. on July 10, 2023. Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for AGM.
6. Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at (Bank's email id. idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on July 08, 2023 till 5.00 p.m. on July 10, 2023. The same will be replied by the Bank suitably.
7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
8. Members who need assistance regarding VC/OAVM before or during the AGM, can contact NSDL on 022-4886-7000 and 022-2499-7000 or email to Mr. Sanjeev Yadav at sanjeevy@nsdl.co.in

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., June 09, 2023 and up to July 06, 2023 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from June 09, 2023 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till July 06, 2023 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of July 06, 2023, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using “Forgot User Details/Password” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 06 जुलाई 2023 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित वोटिंग कैप के अधीन होंगे।
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध **“Forgot User Details/ Password?”** अथवा **“Physical User Reset Password?”** विकल्प पर जाना होगा।
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं।
- इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें।
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा गुरुवार 12 जुलाई 2023 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से बंद कर दी जाएगी।
- ऐसे सदस्य, जो 06 जुलाई 2023 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं हैं, वे इस नोटिस को केवल सूचनाार्थ समझें।

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (ईआईबीआई बैंक लि.), प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022-66553147/2711/3062/3336) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 022-4886-7000 एवं 022-2499-7000 पर संपर्क करें।

14. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न होने की स्थिति में श्री एस.एन. विश्वनाथन को संवीक्षक नियुक्त किया है।
15. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 15 जुलाई 2023 को या उससे पूर्व बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किए जाएंगे। ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बीएसई लि. को भी सूचित किए जाएंगे।

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करवाया है, अनुरोध है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं।

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of July 06, 2023 subject to Voting Cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to **“Forgot User Details/ Password?”** or **“Physical User Reset Password?”** option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Wednesday, July 12, 2023 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on July 06, 2023, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice for information only.

For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Limited (Unit-IDBI Bank Ltd.), RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005 (022- 66553147/2711/3062/3336) or NSDL - Toll Free No. 022-4886-7000 and 022-2499-7000.

14. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Mr. S. N. Viswanathan, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
15. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before July 15, 2023 by displaying the same on Bank's Website www.idbibank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. 20 अप्रैल 2018 के सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी1/ सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश के भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने संबंधित फोलियो/ डीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करें.
- 03 3 नवंबर 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 और दिनांक 14 दिसंबर 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/ पी/सीआईआर/2021/687 के अनुसार, सेबी ने आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने और पैन, केवाईसी विवरण और भौतिक प्रतिभूति धारकों द्वारा नामांकन प्रस्तुत करने की शर्तों को प्रोसेस करने के लिए सामान्य और सरलीकृत शर्तें निर्धारित की हैं. संबंधित प्रपत्रों (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, आईएसआर-4, एसएच-13) के साथ उक्त परिपत्रों की प्रतियां आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट <https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx> और बैंक के आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक) की वेबसाइट www.kfintech.com पर उपलब्ध हैं.

सेबी ने 16 मार्च 2023 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 के द्वारा अब यह बताया है कि फोलियो, जिसमें 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद केवाईसी विवरण या नामिती विवरण में से कोई एक उपलब्ध नहीं होगा तो उसे आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा. उक्त परिपत्रों की शर्तों के अनुसार केफिनटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज किए गए फोलियो यदि 31 दिसंबर 2025 तक फ्रीज रहते हैं तो उन्हें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/ या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन प्रशासन प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा. तदनुसार, केवाईसी दस्तावेज जमा करना और उपर्युक्त परिपत्र में अधिदेश के अनुसार नामिती विवरण को अपडेट करना आपके हित में है.

वार्षिक महासभा नोटिस की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. नोटिस की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

श्री जयकुमार एस. पिल्लई (डीआईएन- 10041362) को 12 जून 2023 से डीएमडी एवं डबल्यूटीडी और आवर्तन निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने 23 जनवरी 2023 को संपन्न अपनी बैठक में श्री जयकुमार को तीन वर्षों की अवधि के लिए आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी सहित बैंक के डीएमडी के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया और बोर्ड को उसके अनुमोदन के लिए सिफारिश की है. एनआरसी की सिफारिश के अनुसरण में बोर्ड ने 23 जनवरी 2023 को संपन्न अपनी बैठक में तीन वर्षों की अवधि के लिए श्री जयकुमार की नियुक्ति के प्रस्ताव की पुष्टि की है और इस संबंध में आरबीआई से उनके अनुमोदन करने हेतु सिफारिश की है. इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने दिनांक 19 मई 2023 के अपने पत्र द्वारा 12 जून 2023 से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के डीएमडी के रूप में श्री जयकुमार की नियुक्ति को अनुमोदित किया है और निदेशक मंडल ने 22 मई 2023 को बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए 12 जून 2023 से बैंक के डीएमडी के रूप में श्री जयकुमार की नियुक्ति को अनुमोदित किया है.

02. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/ CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, in order to facilitate payment of dividend through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., we request you to update your bank account details in your respective folio / demat account.
03. In terms of Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 03, 2021 & SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated December 14, 2021, SEBI had laid down common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for mandatory furnishing PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. Copies of the said Circulars together with relevant forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, ISR-4, SH-13) are available on the website of IDBI Bank at <https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx> and that of KFin Technologies Limited (KFinTech), viz. RTA of the Bank at www.kfintech.com. SEBI vide SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 has now stated that the Folios wherein any one of the KYC details or nominee details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA. In terms of the said circulars, the frozen folios will be referred by KFinTech / IDBI Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if such folios continue to remain frozen as on December 31, 2025. Accordingly, it is in your interest to submit the KYC documents and update nominee details as mandated in the above mentioned circular.

Explanatory Statements in respect of items of the AGM Notice

1. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice

Shri Jayakumar S. Pillai (DIN-10041362) was appointed as DMD & WTD and rotational director for a period of three years w.e.f. June 12, 2023.

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) at its meeting held on January 23, 2023 considered and recommended the proposal for appointment of Shri Jayakumar as the DMD of the Bank for a period of three years, liable to retire by rotation, to the Board for their approval. Pursuant to the recommendation of the NRC, Board at its meeting held on January 23, 2023 ratified the proposal for appointment of Shri Jayakumar for a period of three years and recommended for submission to the RBI for their approval in this regard. Further, RBI vide their letter dated May 19, 2023 approved the appointment of Shri Jayakumar as DMD for a period of three years w.e.f. June 12, 2023 and the Board of Directors on May 22, 2023 approved the appointment of Shri Jayakumar for a period of three years w.e.f. June 12, 2023, subject to approval of the members of the Bank.

आरबीआई द्वारा अनुमोदित श्री जयकुमार को 1.66 करोड़ रुपये के कुल लक्ष्य पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है-

| नियत वेतन (परिलब्धियों सहित) | लक्षित परिवर्ती वेतन | नकदी घटक | नकदी घटक (ईएसओपी के बदले में) |
|------------------------------|----------------------|--|---|
| 75,41,707 रुपये | 90,50,048 रुपये | 30,16,682 रुपये (50% अपफ्रंट; शेष 12.5%, 12.5% एवं 25% तीन वर्षों में आस्थगित) | 60,33,365 रुपये (चार वर्षों में 15%, 20%, 30% और 35% आस्थगित) |

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियम के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी इस नोटिस के अनुबंध के रूप में प्रदान की गई है।

श्री जयकुमार का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे दिया गया है:

श्री जयकुमार बीएफएससी, सीएआईआईबी, एमबीए (वित्त) और विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हैं। उन्होंने आईसीए, लंदन से अभिशासन, जोखिम एवं अनुपालन(जीआरसी) में डिप्लोमा भी किया है। उन्होंने, पीएसबी में वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो(बीबीबी) की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट(बंगलुरु) द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्हें केनरा बैंक में विभिन्न पदों एवं भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात् नई दिल्ली, भोपाल, लंदन, बंगलुरु और मंगलोर में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने प्रारम्भिक 8 वर्षों में कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में कार्य किया है और उन्हें कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अच्छी समझ है। वे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर शाखा प्रमुख रहे हैं तथा उन्हें शाखा बैंकिंग, खुदरा संसाधन जुटाने साथ ही विभिन्न क्षेत्रों जैसे खुदरा, कृषि, एमएसएमई, वसूली आदि को ऋण वितरण का अनुभव है। उन्होंने दो बार सर्कल प्रमुख के रूप में भी है। वे केनरा बैंक के यूके परिचालनों के 4 वर्षों से अधिक समय तक मुख्य कार्यपालक रहे तथा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग का अनुभव हासिल किया। वे प्रधान कार्यालय में बैंक के मध्य कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग में विंग प्रमुख रहे जहां उन्होंने बोर्ड, निदेशकों और एमडी एवं सीईओ से विचार-विमर्श करने का अनुभव प्राप्त किया। केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में ऋण समिति के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधकों के ऋण अनुमोदन समिति के अध्यक्ष के रूप में, श्री जयकुमार ने आरएएम क्षेत्रों, कॉर्पोरेट ऋण और दबावग्रस्त आस्तियों संभालने का अनुभव प्राप्त किया। आईडीबीआई बैंक में कार्यग्रहण करने से पहले श्री जयकुमार मुंबई के केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक एवं सर्कल प्रमुख के रूप में कार्यरत थे।

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 5 में दिया गया सामान्य संकल्प पारित करने की सिफारिश करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री जयकुमार के अलावा) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं। श्री जयकुमार बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं।

The total target remuneration of Rs. 1.66 crore payable to Shri Jayakumar as approved by the RBI is detailed below -

| Fixed Pay (Incl. perquisites) | Target Variable Pay | Cash Component | Cash Component (in lieu of ESOPs) |
|-------------------------------|---------------------|--|--|
| ₹ 75,41,707 | ₹ 90,50,048 | ₹ 30,16,682 (50% upfront; remainder deferred over three years at 12.5%, 12.5% & 25%). | ₹ 60,33,365 (deferred over four years at 15%, 20%, 30% & 35%) |

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Jayakumar is provided hereinafter:

Shri Jayakumar is BfSc, CAIIB, MBA in Finance and Post Graduate Diploma in Foreign Trade. He has also done Diploma in Governance, Risk & Compliance (GRC) from ICA, London. He has attended leadership development program for Senior Management in PSBs organized by Indian Institute of Management (Bangalore) on behalf of Bank Board Bureau (BBB). He has experience of over 32 years in Canara Bank in various capacities and geographies, viz., New Delhi, Bhopal, London, Bengaluru and Mangalore. He has worked as Agricultural Extension officer for initial 8 years and has good understanding of Agriculture and Rural Economy. He has headed branches in various scales across different geographies and is experienced in branch banking, mobilization of retail resources as well as credit delivery in sectors like Retail, Agriculture, MSME, Recovery, etc. He has also worked as Circle head in two occasions. He was Chief Executive of Canara Bank's UK operations for over 4 years and gained experience in International banking. He was Wing Head in Bank's mid corporate credit wing in Head Office wherein he gained experience in interacting with Board, Directors and MD & CEO. As chairman of Canara Bank's Credit Committee at HO and Chairman of General Manager's Credit approval committee, Shri Jayakumar has gained experience in RAM sectors, Corporate Credit and handling of stressed assets. Prior to joining IDBI Bank, Shri Jayakumar was working as Chief General Manager and Circle Head in Canara Bank, Mumbai.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.5 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Jayakumar himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Jayakumar is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

2. सूचना की मद संख्या 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संबंधित पक्षों से किए जाने वाले संव्यवहारों के मामले में शेयरधारकों से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है। तथापि यदि ऐसे संव्यवहार तात्त्विक प्रकृति के हों तो उनके लिए सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(4) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार साधारण संकल्प के जरिए शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा, भले ही ऐसे संव्यवहार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों।

1 अप्रैल 2022 से प्रभावी सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(1) के परंतुक के साथ पठित विनियम 2(1) के खंड (जेडसी) में किए गए संशोधनों के अनुसार एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबद्ध पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या बाध्यताओं से जुड़े लेनदेनों को "संबद्ध पक्ष लेनदेन" समझा जाएगा, तथा पृथक रूप से किए गए लेनदेन अथवा वित्तीय वर्ष में हुए पिछले लेनदेनों को मिलाकर हुए लेनदेन की राशि 1000 करोड़ रु अथवा सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उस सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक होने पर उस लेनदेन को "तात्त्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" माना जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एलआईसी के साथ किए जाने वाले तात्त्विक आरपीटी के लिए 22 जुलाई 2022 को आयोजित 18वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया था, जो 19वीं महासभा तक वैध रहेगा। इसलिए, बैंक को तात्त्विक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में एलआईसी के बैंक के संबंधित पक्ष होने के नाते स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सम्मिलित रूप में हों अथवा संव्यवहारों की शृंखला के रूप में हों अथवा अन्य रूप में हों) कार्यान्वित करता है। एलआईसी के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है:

1) जमाराशियाँ स्वीकार करना

बैंक को आम जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करनी होती हैं जो मांग पर अथवा अन्य रीति से चुकौती-योग्य होती हैं। एलआईसी सभी ग्राहकों के लिए लागू शर्तों के समान शर्तों पर बैंक के साथ चालू खाता परिचालित करता है। एक बार खाता खोले जाने के बाद बैंक विधिक तौर पर ग्राहक के खाते में जमा होने वाली राशियों को नहीं रोक सकता है और यह पूरी तरह से ग्राहक के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वह वह कितनी राशि जमा के रूप में रखना चाहता है। अतः संव्यवहार के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। संव्यवहार की अवधि एलआईसी द्वारा चुनी गई अवधि पर निर्भर करती है और बैंक द्वारा इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। बैंक द्वारा बैंकिंग प्रभार बैंक की नीतियों तथा आरबीआई के मानदंडों के अनुसार सभी ग्राहकों पर एकसमान दर से प्रभारित किए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जमा अथवा बैंकिंग प्रभार सामान्य बैंकिंग कार्यकलापों से उत्पन्न होते हैं, संव्यवहार का मूल्य एलआईसी पर निर्भर करता है और बैंक द्वारा इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। जमाओं को स्वीकार करने और बैंकिंग प्रभारों की प्राप्ति सामान्य बैंकिंग व्यवसाय है और ये बैंक के हित में हैं।

2. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

As per the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), transactions with related parties which are on an arm's length basis and in the ordinary course of business, are exempted from the obligation of obtaining prior approval of shareholders. However, such transactions, if material, require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business, as per the requirements of the provisions of Regulation 23(4) of the SEBI Listing Regulations.

As per the amendments to clause (zc) of Regulation 2(1) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, which is effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand will be considered as "related party transactions", and as "material related party transactions", if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of above, the Bank obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LIC at the Banks' 18th Annual General Meeting (AGM) held on July 22, 2022 which will be valid till the 19th AGM. Thus the Bank requires to obtain fresh approval from the shareholders for material RPTs.

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LIC being a related party of the Bank, on an arms' length basis, to meet its business requirement. Details of the proposed transactions with LIC are as follows:

1) Acceptance of Deposits

The Bank is required to accept deposits from public, repayable on demand or otherwise. LIC operates current account deposits with the Bank on the same terms as applicable to all customers. Once an account is opened, a bank cannot legally stop amounts coming into the customer's account and it is entirely up to the discretion of the customer how much amount it seeks to place into the deposit. Hence, the value of the transaction is not determinable. The tenure of the transaction depends on period opted for by LIC and cannot be ascertained by the Bank. Banking charges are levied by the Bank uniformly on all customers in accordance with Bank's policies and RBI norms. Given that deposits or banking charges arise out of normal banking activities, the value of the transaction depends on LIC and cannot be ascertained by the Bank. Acceptance of deposits and receipt of banking charges are in furtherance of the normal banking business and are in the interest of the Bank.

2) निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में एलआईसी सहित सभी ग्राहकों को समान प्रक्रियाओं के आधार पर निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सुविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और लेन-देन की अवधि, प्रत्येक मामले में, सामान्य अनुक्रम में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसी की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। मंजूरी के लिए सुविधाओं पर विचार आरबीआई मानदंडों और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत ऐसे नियमों और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, कार्यकाल, आदि सहित) पर किया जाता है, जो सभी ग्राहकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। लेनदेन बैंक के सामान्य बैंकिंग लेनदेन का भाग है। मूल्य बैंक की उधार नीतियों और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया पर निर्भर है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह आरबीआई और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर / अंतः-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन है। सम्बद्ध पक्षों के लिए इन सुविधाओं का मूल्य निर्धारण प्रचलित बाजार दर पर आधारित होता है अथवा बाह्य बैंचमार्क से जुड़ा होता है, जिसे सभी ग्राहकों (संबंधित पक्षों सहित) को समान रूप से ऑफर किया जाता है और यह स्वतंत्र संयवहार पर आधारित होता है। सुविधाओं का कार्यकाल ग्राहकों की आवश्यकता (संबंधित/असंबंधित पक्ष) पर निर्भर करता है जो नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन है तथा जो सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होता है। लेन-देन बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को अग्रसित करने के लिए है और बैंक द्वारा सामान्य अनुक्रम (ऋण मूल्यांकन, मंजूरी और अनुमोदन प्रक्रिया सहित) के अनुसार निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और इसलिए ये बैंक के हित में हैं।

3) ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन

बैंक अपने व्यवसाय के लिए धन जुटाने के लिए आमतौर पर निवेशकों (एलआईसी सहित) द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी ऋण प्रतिभूतियां जारी कर सकता है, जिसके प्रतिफलस्वरूप सभी निवेशकों पर समान रूप से प्रयोज्य कानूनों और प्रस्ताव पत्र के अनुसार इच्छुक निवेशकों को प्रतिभूतियां आर्बिट कर दी जाती हैं तथा ब्याज का भुगतान किया जाता है। प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियों के लिए एलआईसी की बोली के अधीन है। लेन-देन की अवधि बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगी जो लागू कानूनों के अनुपालन में होगी। यह बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए है और इसलिए बैंक के हित में है।

4) बीमा योजनाओं और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन

बैंक ने आईडीबीआई बैंक शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री के लिए एलआईसी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है। नियामक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईआरडीएआई को उचित अनुमोदन/सूचना दी गई है। बैंक आईआरडीएआई द्वारा अनुमत दरों के अनुसार बीमा योजनाओं के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन अर्जित करता है। एलआईसी के साथ समझौता, अनुबंध की शर्तों और नियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नवीनीकरण के अधीन है। अर्जित शुल्क का स्तर व्यवसाय की मात्रा, बैंक की रणनीति, नियामक दिशानिर्देश और अन्य बाहरी कारक जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बैंक अपनी व्यावसायिक रणनीति के एक भाग के रूप में एलआईसी की बीमा योजनाएं ऑफर करता

2) Funded and Non-funded facilities

Funded and Non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures, including to LIC. Type of facility, terms, end-use and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LIC as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure, etc.) as may be permitted under applicable RBI norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all the customers. The transaction forms part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The pricing of these facilities to related parties is based on prevailing market rate or linked to external benchmark which is uniformly offered to all customers (including related parties) and it is based on arm's length basis. Tenure of facilities is dependent on customers' requirement (related/ unrelated parties) subject to regulatory guidelines and Bank's internal policies which are uniformly applicable to all the customers. The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms, policies and procedures as followed by the Bank in ordinary course (including credit appraisal, sanction and approval process) and therefore, in the interest of the Bank.

3) Issuance of debt securities

The Bank may issue debt securities like Non-Convertible Debentures, for raising funds for business of the Bank, on platforms commonly accessed by investors (including LIC), pursuant to which the securities are allotted to interested investors in accordance with the provisions of the applicable laws and offer letter; and payment of interest on such securities uniformly to all investors. The value of transactions proposed cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities proposed to be issued by the Bank. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the Bank that will be in compliance of the applicable laws. This is in furtherance of the business activities of the Bank and therefore, is in the interest of the Bank.

4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business

The Bank has entered into Corporate Agency Agreement with LIC for sale of Life Insurance Policies through IDBI Bank Branches. Due approval/intimation to IRDAI has been done as per the process laid down by the Regulator. The Bank earns fees/commission for distribution of insurance products as per the rates allowed by IRDAI. The agreement with LIC is subject to renewal as per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The level of fees earned is dependent on various factors i.e. business volume, Bank's strategy, regulatory guidelines and other external factors. Thus, value of transactions cannot be determined. The Bank offers insurance products of LIC as a part of its business strategy and earns fees/

है और समझौते की शर्तों के अनुसार शुल्क/ कमीशन अर्जित करता है और इसलिए यह बैंक के हित में है।

5) अन्य लेनदेन

मुद्रा बाजार लेनदेन में अन्य सामान्य बाजार सहभागियों/प्रतिपक्षकारों के समान बाजार आधारित लेनदेन, सरकारी प्रतिभूतियों/कॉर्पोरेट बांडों और मुद्रा बाजार लिखतों की द्वितीयक बाजार में खरीद/बिक्री, बांडों में निवेश, कोई अन्य आय/व्यय अथवा बैंक के कारोबार के सामान्य क्रम में निक्षेपागार सहभागी, कस्टोडियन सेवाओं, निवेश बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव लेनदेनों आदि के अनुसरण में की गई अन्य गतिविधियां।

बैंक, अपने नियमित कारोबार में, अपने द्वारा ऋण/अग्रिम या निवेश प्रदान करने से संबंधित कोई लेनदेन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेता है। उपरोक्त लेनदेन में संबंधित पक्ष के सरोकार /हित की प्रकृति वित्तीय है।

उपरोक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार होते हैं और इसलिए बैंक के हित में होते हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऊपर बताए गए लेनदेन से बी सूचीबद्धता विनियमों के तहत एलआईसी के लिए "महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेनदेन" की सीमा अर्थात् ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10% (इनमें से जो भी कम हो) से अधिक हो सकते हैं। सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक और/या इसके संबंधित पक्षों के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में दर्ज किए जाएंगे। सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक आमसभा तक वैध रहेगा।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बैंक के निदेशक मंडल ने एलआईसी के साथ बैंक द्वारा प्रस्तावित सम्बद्ध पक्ष लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें संकल्प और व्याख्यात्मक विवरण में कहा गया है और यह भी नोट किया गया है कि एलआईसी के साथ उक्त लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में होगा।

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 6 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबन्धित या हितबद्ध नहीं है।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सम्बद्ध पक्ष संलग्न महासभा सूचना की मद संख्या 6 के सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे, भले ही वे विशेष लेनदेन के लिए संबंधित पक्ष हों अथवा नहीं।

3. सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

वर्तमान में, आईडीबीआई बैंक द्वितीयक बाजार और कुछ प्राथमिक निर्गमों के अभिदान के माध्यम से पीएसयू/ बैंक बॉन्डों में निवेश कर रहा है। हाल की अवधि के दौरान कॉर्पोरेट बॉन्ड के निजी के साथ-साथ सार्वजनिक निर्गम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। द्वितीयक बाजार की मात्रा भी

commission as per the terms of agreement and therefore it is in the interest of the Bank.

5) Other transactions

Market based transactions in the manner similar with other general market participants / counterparties in Money market transactions, Secondary Market Buying / Selling of Govt. Securities / Corporate Bonds and money market instruments, investments in Bonds, any other income/expense or other activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services, investment banking, foreign exchange and derivative transactions, etc, in the ordinary course of Bank's business.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above at any time during the financial year may exceed the threshold of "material related party transactions" under the SEBI Listing Regulations i.e ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower, for LIC. All the transactions will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

The Audit Committee of the Board and Board of Directors of the Bank has granted approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Bank with LIC including as stated in the resolution and explanatory statement and has also noted that the said transactions with LIC would be on an arm's length basis and in the ordinary course of the Bank's business.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.6 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than LIC Nominee Directors) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

The Members may please note that in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 6 of the accompanying AGM Notice, whether the entity is a related party to the particular transaction or not.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 7 of the Notice

At present, IDBI Bank is investing in PSU/Bank bonds through secondary market and subscription to some of the primary issuances. The Private as well as Public issuance of corporate bonds has increased considerably during the recent period. Secondary market volumes too have grown

काफी बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की गहनता के लिए कुछ सुधार उपाय किए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम हुए हैं। बुनियादी ढांचे और विनियमों ने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में बड़ी भागीदारी को सक्षम बनाया है। इस खंड में प्रमुख निवेशकों के रूप में एफपीआई और म्यूचुअल फंड के प्रवेश ने भी बॉन्ड बाजार को गहराई प्रदान की है।

इस संभावित कारोबार अवसर को ध्यान में रखते हुए, बैंक ऋण पूंजी बाजार (डीसीएम) गतिविधियों को सक्रिय करने पर विचार कर रहा है। डीसीएम डेस्क प्राथमिक बाजार से उच्च श्रेणी के जारीकर्ताओं की गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में अभिदान करने और उन्हें पेंशन फंडों, भविष्य निधियों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों, एचएनआई और ऐसे अन्य निवेशकों को लाभ पर बेचने पर विचार करेगा। इस कारोबार में मात्रा बढ़ाने के लिए, बैंक ने अपनी सहायक कंपनी आईसीएमएस के साथ सहक्रिया विकसित करने पर विचार कर रहा है, जो श्रेणी- I व्यापारी बैंकर है और इस खंड में व्यापक अनुभव है। दोनों संस्थाओं के साथ आने से कारोबारी परिणामों को बल मिलेगा।

चूंकि, आईसीएमएस कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बोली लगाने के लिए अपेक्षित अपफ्रंट राशि का आवंटन करने में सक्षम नहीं है, आईडीबीआई बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बोली लगाता है और आवंटन प्राप्त होने पर आईसीएमएस को अंतरित करता है। आईडीबीआई बैंक से प्रतिभूतियां प्राप्त करने के बाद आईसीएमएस इसे अपने ग्राहकों को प्रदान कर सकता है। इस लेन-देन में, बैंक को निवेश में उपयोग की गई निधियों की धारण अवधि के लिए कूपन प्राप्त होता है। आईडीबीआई बैंक के पास एनएसएलआर/एसएलआर बांडों की धारण अवधि लगभग 10 दिन होगी। हालांकि इस तरह के लेन-देन से आय अधिक नहीं होगी, पर इस गतिविधि से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आईसीएमएस के साथ लेनदेन की मात्रा 1000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।

लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किये जायेंगे। सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बैंक के निदेशक मंडल ने आईसीएमएस के साथ बैंक द्वारा प्रस्तावित सम्बद्ध पक्ष लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें संकल्प और व्याख्यात्मक विवरण में कहा गया है और यह भी नोट किया गया है कि आईसीएमएस के साथ उक्त लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में होगा।

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 7 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा) या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

considerably. Over the years, RBI has undertaken several reform measures to deepen Corporate Bond market which has yielded positive results. The infrastructure and regulations too have enabled larger participation in Corporate Bonds. Entry of FPIs and Mutual Funds as major investors in this segment too has provided depth to the Bond market.

Considering this potential business opportunity, the Bank is envisaging activating of Debt Capital Market (DCM) activities. DCM desk will be engaged in subscription of Non SLR securities of highly rated issuers from primary market and selling them to investors such as Pension Funds, Provident Funds, Insurance Companies, Mutual Funds, HNIs and other such investors at a profit. In order to build scale in this business, the Bank envisages developing synergy with its subsidiary, ICMS, which is a Category-I Merchant Banker and has vast experience in this segment. Leveraging on the strength of both the entities would entail in encouraging business results.

As ICMS is not able to allocate large amount of funds upfront required for placing the bids for Corporate Bonds, IDBI Bank bids for the Corporate Bonds and upon receiving allocation passes on the same to ICMS. ICMS in turn after receiving the securities from IDBI Bank may pass on the same to its clients. In this transaction, the Bank receives the coupon for holding period of funds utilized in investment. The holding period of the NSLR/SLR Bonds would be about 10 days with IDBI Bank. Though the income from such transaction may not be high, the volume of transactions with ICMS may exceed ₹ 1000 crore during financial year 2023-24 through this activity.

The transaction will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

The Audit Committee of the Board and Board of Directors of the Bank has granted approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Bank with ICMS including as stated in the resolution and explanatory statement and has also noted that the said transactions with ICMS would be on an arm's length basis and in the ordinary course of the Bank's business.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.7 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Whole-time Directors) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

सदस्य कृपया नोट करें कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष महासभा की सूचना के मद सं. 7 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा, चाहे इकाई विशेष लेन-देन से संबंधित पार्टी हो या नहीं हो।

4. सूचना की मद सं. 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

सेबी ने 2 फरवरी 2023 की अधिसूचना के माध्यम से सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2021 (एनसीएस विनियमों) में संशोधन किया है ताकि उन कंपनियों के लिए, जिन्होंने अपनी ऋण प्रतिभूतियों को 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले सूचीबद्ध किया है, अनिवार्य किया जा सके कि वे अपने संस्था के अंतर्नियमों में संशोधन करें ताकि सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 के विनियम 15(1)(ई) में प्रदान की गई निम्नलिखित चूक की स्थिति में डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा नामित निदेशक को नियुक्त करने का प्रावधान हो:

- i. डिबेंचर धारकों को ब्याज के भुगतान में लगातार दो चूक; अथवा
- ii. डिबेंचर के लिए प्रतिभूति के सृजन में चूक; अथवा
- iii. डिबेंचर के मोचन में चूक

उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक के संस्था के अंतर्नियमों में बदलाव किया जा रहा है ताकि इस सूचना की मद सं. 8 में प्रदान किए गए संकल्प में शामिल अंतर्नियमों को समर्थकारी खंड प्रदान किया जा सके. संस्था के अंतर्नियमों में परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है।

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 8 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उक्त संकल्प को पारित करवाने में, बैंक में अपनी शेर्य धारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं

**बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय:

आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400005.

दिनांक: 15 जून 2023

The Members may please note that in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 7 of the accompanying AGM Notice, whether the entity is a related party to the particular transaction or not.

4. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 8 of the Notice

SEBI vide notification dated February 2, 2023 has amended the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 (NCS Regulations) to mandate the companies that have listed their Debt securities to amend their Articles of Association on or before September 30, 2023, so that it contains provision to appoint a Director nominated by the Debenture Trustee in the event of following defaults as provided in Regulation 15(1)(e) of the SEBI (Debenture Trustees) Regulations, 1993:

- (i) two consecutive defaults in payment of interest to the debenture holders; or
- (ii) default in creation of security for debentures; or
- (iii) default in redemption of debentures.

In order to comply with the provisions of the said circular, the Articles of Association of the Bank is being altered to provide an enabling clause in the Articles as contained in the resolution provided at Item no. 8 of this notice. The alteration in Articles of Association is subject to the approval of the Reserve Bank of India.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.8 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

**By Order of the Board
For IDBI Bank Limited**

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:

IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: June 15, 2023

सूचना का अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(ए) और महासभा पर सचिवीय मानक 2 के अनुसार ब्योरा

| | |
|--|---|
| निदेशक का नाम | श्री जयकुमार एस. पिल्लई |
| पदनाम | उप प्रबंध निदेशक |
| जन्म तिथि/आयु | 31.05.1965 58 वर्ष |
| प्रथम नियुक्ति की तारीख | 12 जून 2023 |
| योग्यता | बीएफएससी, एमबीए (वित्त), विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएफटी), अभिशासन, जोखिम एवं अनुपालन(जीआरसी) में डिप्लोमा और सीएआईआईबी. |
| विशेषज्ञता | लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त, लघु उद्योग, एचआर, जोखिम, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कंपनी अभिशासन |
| अन्य संस्थाओं में निदेशक पद | शून्य |
| उन सूचीबद्ध कंपनियों के नाम, जिनसे निदेशक ने विगत 3 वर्ष में त्यागपत्र दिया है, यदि कोई हो | शून्य |
| अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता | शून्य |
| निदेशक की श्रेयधारिता | शून्य |
| निदेशकों का पारस्परिक संबंध | शून्य |
| नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की निबंधन व शर्तें | पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196,197,203 और अनुसूची V में दिये अनुसार है. बैंक की संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, उप प्रबंध निदेशक ऐसी शक्तियों एवं प्राधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे और ऐसे कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे जो उन्हें बोर्ड या एमडी एवं सीईओ द्वारा प्रत्यायोजित किए जायेंगे, जो बैंक के एमडी एवं सीईओ के पर्यवेक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन हैं. |
| पारिश्रमिक | डीएमडी को देय पारिश्रमिक आरबीआई द्वारा अनुमोदित अनुसार होगा. |
| नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का औचित्य तथा प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं तथा ढंग जिनमें वे ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं | लागू नहीं |
| अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (सम्पन्न/ उपस्थिति) | लागू नहीं |

ANNEXURE TO THE NOTICE

Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings

| | |
|--|--|
| Name of Director | Shri Jayakumar S. Pillai |
| Designation | Deputy Managing Director |
| Date of Birth/ Age | 31.05.1965 58 years |
| Date of first appointment | June 12, 2023 |
| Qualification | BFSc, MBA(finance), Post Graduate Diploma in Foreign Trade (PGDFT), Diploma in Governance, Risk & Compliance (GRC) and CAIIB |
| Expertise | Accountancy, Agriculture & rural Economy, Banking, Economics, Finance, Small Scale Industry, HR, Risk, Business Management, Administration and Corporate Governance |
| Directorship in other entities | NIL |
| Names of listed Entities from which the Directors has resigned in last 3 years, if any | NIL |
| Membership / Chairmanship in Committees of other entities | NIL |
| Shareholding of Director | NIL |
| Relationship between directors inter-se | NIL |
| Terms and Conditions of Appointment/Re-appointment | Terms and conditions for Appointment of WTD are as provided in Section 35B of Banking Regulation Act, 1949, Sections 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the Bank, the DMDs shall exercise such powers and authorities and discharge such functions as may be delegated to them by the Board or the MD & CEO, subject to the supervision, direction and control of the MD & CEO of the Bank. |
| Remuneration | Remuneration payable to DMD would be as approved by the RBI. |
| Justification for Appointment/ Reappointment and skills & capabilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements. | Not Applicable |
| Number of Board meetings attended during their tenure (Held/Attended) | Not Applicable |

नोट / NOTE